न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 283/2019 दायर दिनाँक 06.12.2019

वादी

1. दीपाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी मण्डाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. पेमाराम पुत्र कानाराम फौत
1/1 रूकमा देवी पत्नी पेमाराम
1/2 भूगानाराम पुत्र पेमाराम
1/3 बजरंग पुत्र पेमाराम
1/4 लालीदेवी पुत्री पेमाराम
1/5 हिरादेवी पुत्र पेमाराम
2. श्रवणराम पुत्र कानाराम
3. प्रभुराम पुत्र कानाराम
4. कानसुजया नानू पुत्र कानाराम
5. लाडादेवी पुत्री कानाराम
6. इमरती देवी पुत्री कानाराम
7. रामेश्वरी पुत्री कानाराम
8. हेमी देवी पुत्री कानाराम
9. भागाराम पुत्र अन्नाराम
10. चुकादेवी पत्नी सांवरमल
11. मेहनराम पुत्र पीथाराम समस्त जाति जाट निवासी मण्डाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
12. प्यारे लाल पुत्र जंवरमल
13. उन्नराज पुत्र जंवरमल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी डीडवाना तह0 डीडवाना जिला नागौर
14. तहसीलदार डीडवाना
15. भागीरथ पुत्र हीरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी डीडवाना तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–188, 53, 88

1. श्री इस्लामुदीन वकील वादी।
2. श्री होलेशपुरी वकील प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **04.12.2024**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 8 की पैतृक सम्पति वाकै सरहद मण्डाबासनी के खेत खसरा सं0 603 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 461 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं0 434 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 436 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 435 रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 550 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा व मौजा दादूबासनी के खसरा सं0 147 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 305 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा व मौजा कापड़ोद के खेत खसरा सं0 122 रकबा 40 बीघा अवस्थित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.06.04 11:49:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 8 का पैतृक खातेदारीसुदा खेत है। स्व0 रामूराम उर्फ रामा ने अपने जीवनकाल में मौखिक रूप से हक तर्क कर अलग–अलग मौके पर भौतिक रूप से बंटवारा कर वादी व प्रतिवादीगण को अपना–अपना मौका संभला कर अलग–अलग निवें–सिंवे कायम कर कब्जा सुपुर्द कर दिया वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बंटवारा नही होने से बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड करवाना लाजमी हुआ है।

वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 के मध्य पूर्व में बंटवारा हो चूका है भौतिक एवं कब्जा काश्त के अनुसार वाकै सरहद कापड़ोद के खेत खसरा सं0 122 रकबा 40 बीघा में से 30 बीघा वादी दीपा की, प्रतिवादी सं0 1 पेमाराम के 02 बीघा, प्रतिवादी सं0 3 प्रभुराम के 5 बीघा, प्रतिवादी सं0 4 कानसूजया नानू के 3 बीघा व मौजा दादूबासनी के खसरा सं0 147 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा, खसरा सं0 305 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा में प्रतिवी सं0 1 पेमाराम के 5 बीघा, प्रतिवादी सं0 3 प्रभुराम के 3 बीघा, प्रतिवादी सं0 4 कानसूजया नानू के 4 बीघा 07 बिस्वा, मौजा मण्डाबासनी के खसरा सं0 461 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा (नये खसरा सं0 639, 640) में से प्रतिवादी सं0 1 पेमाराम के 3 बीघा 14 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 2 श्रवणराम के 4 बीघा 4 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 3 प्रभुराम के 3 बीघा 4 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 4 कानसूजया नानू के 03 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा सं0 434 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 436 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा (नये खसरा सं0 601, 603) में से प्रतिवादी सं0 2 श्रवणराम के 4 बीघा 8 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 9 भागाराम के 4 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा सं0 603(नये खसरा सं0 832) रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा में से वादी दीपराम के 2 बीघा 10 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 1 पेमाराम के 12 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 2 श्रवणराम के 13 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 3 प्रभुराम के 13 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 4 कानसुजया नानू के 13 बिस्वा और खसरा सं0 435 रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 550 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा (नये खसरा सं0 602, 753) में से प्रतिवादी सं0 2 श्रवणराम के 03 बीघा, प्रतिवादी सं0 09 भागाराम के 03 बीघा बंटवारा में आकर मौके पर बंटवारा कर लिया गया जिसके अनुसार मौके पर अपने–अपने हिस्से बंट पर कब्जा काश्त करते आ रहे है जो निरंतर निर्बाध रूप से चली आकर वादी काबिज काश्त है लेकिन वादी व प्रतिवादीगण के विधिवत बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही होने से बंटवारा विधिवत करवाना चाहते है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:–

घोषणा खातेदारी बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस काशय की जारी फरमावें कि वाद पत्र में उपरोक्त वर्णितानुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सा बंट के अनुसार घोषणा खातेदारी बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर उसी अनुरूप अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 3, 10 व 12, 13 15 तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। वादी व प्रतिवादी सं0 01, 02, 04 ता 09 व 11 ने राजीनामा पेश किया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने राजीनामानुसार दावा डिक्री करने पर सहमति प्रदान की।

प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान स्व0 रामूराम के वारिसान है जो अपनी पुश्तैनी भूमि का बंटवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। रामूराम के अन्य पुत्र कानाराम के वारिसान ने राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। पक्षकारान एक ही पूर्वज के वारिसान है जो पुश्तैनी भूमि की खातेदारी बाहमी बंटवारा के अनुसार करवाना चाह रहे है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में वादी का दावा बाद डिक्री पारित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.06.04 11:49:51 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं/डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

–:: आदेश ::–

दावा डिक्री सादिर कर वाकककै सरहद ग्राम मण्डाबासनी तहसील डीडवाना में खसरा सं0 603 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा सं0 461 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं0 434 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 436 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 435 रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 550 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा व मौजा दादूबासनी के खेत खसरा सं0 147 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 305 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा व मौजा सरहद कापड़ोद के खसरा से0 122 रकबा 40 बीघा की भूमि में राजीनामा दिनांक 16.01.2020 के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश जारी किये जाते है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हों।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **04.12.2024** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.06.04 11:49:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,
बइजलास : पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **283/2019** दायर दिनाँक **06.12.2019**

वादीगण

1. दीपाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी मण्डाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. पेमाराम पुत्र कानाराम फौत
1/1 रूकमा देवी पत्नी पेमाराम
1/2 भूगानाराम पुत्र पेमाराम
1/3 बजरंग पुत्र पेमाराम
1/4 लालीदेवी पुत्री पेमाराम
1/5 हिरादेवी पुत्र पेमाराम
2. श्रवणराम पुत्र कानाराम
3. प्रभुराम पुत्र कानाराम
4. कानसुजया नानू पुत्र कानाराम
5. लाडादेवी पुत्री कानाराम
6. इमरती देवी पुत्री कानाराम
7. रामेश्वरी पुत्री कानाराम
8. हेमी देवी पुत्री कानाराम
9. भागाराम पुत्र अन्नाराम
10. चुकादेवी पत्नी सांवरमल
11. मेहनराम पुत्र पीथाराम समस्त जाति जाट निवासी मण्डाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
12. प्यारे लाल पुत्र जंवरमल
13. उन्नराज पुत्र जंवरमल समस्त जाति ब्राह्मण निवासी डीडवाना तह0 डीडवाना जिला नागौर
14. तहसीलदार डीडवाना
15. भागीरथ पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी डीडवाना तह0 डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–188, 53, 88

दिनाँक **04.12.2024**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री इस्लामुदीन वकील वादी व श्री होलेशपुरी वकील प्रतिवादीगण की आरे से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद ग्राम मण्डाबासनी तहसील डीडवाना में खसरा सं0 603 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा सं0 461 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं0 434 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 436 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 435 रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 550 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा व मौजा दादूबासनी के खेत खसरा सं0 147 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 305 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा व मौजा सरहद कापड़ोद के खसरा से0 122 रकबा 40 बीघा की भूमि में राजीनामा दिनांक 16.01.2020 के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश जारी किये जाते है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार रेकर्ड दुरूस्त हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.06.04 11:49:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 04.12.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

vikas

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.06.04 11:49:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner